समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–32/2019–20
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
लोचन साव एवं अन्य
–::आदेश::–

01.09.2021

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–28/2019–20, दिनांक–26.11.2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि पेंक नारायणपुर थाना कांड सं0–53/2018, दिनांक–15.09.2018, धारा–413/414/34 के अन्तर्गत जप्त वाहन ट्रैक्टर सं0–1. बिना नं0 का एच.एम.टी. 3522, इंजन सं0–PJY23503, Model No.-23303 चेचिस सं0–28823 उस पर लदा कच्चा कोयला करीब 3.5 टन 2. बिना नं0 का ट्रेलर इंजन सं0–PKDF31978, Model No. 31769, चेचिस सं0–389605 एच0एम0टी0 3522 एवं उस पर लदे करीब 3.5 टन कच्चा कोयला का अवैध रूप से परिवहन करने के आरोप में प्राथमिक अभियुक्त 1. श्री लोचन साव पिता जयलाल साव 2. श्री सुभाष कुमार साव पिता श्री लोचन साव 3. श्री बद्री साव पिता स्व0 चिरू साव 4. श्री तिलक चन्द्र महतो पिता स्व0 सीताराम महतो सभी सा0–वंशी, थाना–पेंक नारायणपुर जिला बोकारो 5. श्री रूपलाल महतो सा0–कानी महुआ 6. कामेश्वर प्रजापति सा0–कुम्हार टोला थाना–पेंक नारायणपुर जिला बोकारो के विरूद्ध दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं कोयला को राज्यसात की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता सुना गया। विपक्षी सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित पाये गये।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक–15.09.2018 को पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से कच्चा कोयला का परिवहन करने के आरोप में प्रश्नगत वाहन को जप्त किया गया है। पुलिस बल को देखते ही वाहन के चालक/मालिक के द्वारा वैध कागजात दिखाने के बजाय वाहन को

छोड़कर भाग जाना स्पष्टतः दर्शाता है कि उनके द्वारा अवैध तरीके से कच्चा कोयला को कालाबजारी करने के उद्देश्य से परिवहन किया जा रहा था, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से कोयले का खनन/परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

विपक्षी का पिछले कई तिथियों से सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित रहना यह दर्शाता है कि उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है।

वर्णित परिस्थिति विद्वान सरकारी अधिवक्ता की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अध्ययन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत वाहन के चालक/मालिक के द्वारा बिना वैध कागजात के ही प्रश्नगत कच्चा कोयला को परिवहन किया जा रहा था। फलस्वरूप जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–28/2019–20, दिनांक–26.11.2019 को स्वीकृत करते हुए पेंक नारायणपुर थाना कांड सं0–53/2018, दिनांक–15.09.2018, धारा–413/414/34 के अन्तर्गत जप्त वाहन ट्रैक्टर सं0–1. बिना नं0 का एच.एम.टी. 3522, इंजन सं0–PJY23503, Model No.-23303 चेचिस सं0–28823 उस पर लदा कच्चा कोयला करीब 3.5 टन 2. बिना नं0 का ट्रेलर इंजन सं0– PKDF31978, Model No. 31769, चेचिस सं0–389605 एच0एम0टी0 3522 एवं उस पर लदे करीब 3.5 टन कच्चा कोयला को राज्य सरकार के हित में राज्यसात किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

01/9/2024

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

01/9/2024

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.18 15:08:04 +05:30
Location: 192.168.249.234